[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 13/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 21 मार्च, 2020

सा.का.नि.........(अ).- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 70/2019-केंद्रीय कर, तारीख 13 दिसम्बर, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 926(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2019 को प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उन से भिन्न जो उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), उपनियम (3), उपनियम (4) और उपनियम (4 क) में विनिर्दिष्ट हैं, को एक रजिस्ट्रीकृत वर्ग के व्यक्ति के रूप में अधिसूचित करती है, जिनका किसी वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त एक सौ करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को माल या सेवा या दोनों की प्रदाय के संबंध में उक्त नियमों के नियम 48 के उपनियम (4) के निबंधनानुसार बीजक और अन्य विहित दस्तावेज तैयार करेंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं.20/06/03/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार